प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
अयोध्या मण्डल अयोध्या।

सेवा में

प्रबन्धक,
सावित्री देवी पब्लिक स्कूल पलिया गोलपुर
विकास क्षेत्र – दोस्तपुर
जनपद – सुल्तानपुर।

पत्रांक / 8211-17 /2021–22 दिनांक : 28-03-22

विषयः– **विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या–646–15–06–97–18 एस0(7)/89 दिनांक–13–08–1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार कक्षा–1 से 8 तक स्थायी मान्यता इस आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। विद्यालय में पदसृजन पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ही मान्य होगा। इस आदेश के साथ कोई अतिरिक्त पदसृजन प्रदान नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार पदसृजन की स्थिति पूर्ववत् रहेगी। यह मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि आप द्वारा विद्यालय की मान्यता हेतु दर्शाये गये भूमि, भवन एवं अन्य उल्लिखित संशाधनों का उपयोग इस विद्यालय के लिए ही किया जायेगा। स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत चेक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा। उल्लंघन की दशा में अथवा भविष्य में प्रबन्धक द्वारा छिपाये गये तथ्य के प्रकाश में आने या फर्जी/कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय,

(रामकृपाल शर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
अयोध्या मण्डल अयोध्या।

पृ0सं0/ /2021–22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।:–

1– महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ। अयोध्या मण्डल अयोध्या।
3– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
4– सहायक सचिव निदेशक (बेसिक), अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5– खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0क्षे0–दोस्तपुर, सुलतानपुर।
6– गार्ड फाईल/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि पत्रावली तथा आदेश अपनी अभिरक्षा में संरक्षित करें।

(रामकृपाल शर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
अयोध्या मण्डल अयोध्या।